न्यायालय उपखण्ड अधिकारी 05-02-2018 ...
हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
करेड़ा (भीलवाड़ा) ...

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। बहस किये जाने का निवेदन किया, बहस सुनी गई, दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी की काश्तशुदा आराजी ग्राम गाजुणा तहसील करेड़ा की आराजी नम्बर 945/1, रकबा 07 बीघा वादी के पिता नानु बल्द मदना दरोगा के खातेदारी हक आन्वेषण से दर्ज रिकॉर्ड की थी जो आज भी वर्तमान के वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। परन्तु वक्त सेटलमेन्ट के बाद आराजी संख्या 945/1 को सेटलमेन्ट में कन्वर्ट नम्बर नयी आराजी नम्बर 2875 कायम किया गया जिसका रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन को बिलानाम दर्ज कर दिया गया। जिसके पश्चात प्रतिवादी सम्पत लाल पिता मोहन मेवाड़ा व उसकी पत्नी शान्ती देवी को रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा दिनांक 28/11/2005 को आवंटन कर दिया जो गलत है वक्त सेटलमेन्ट की गलती से बिलानाम होकर प्रतिवादी को आवंटन किया गया है, जिसकी अपील श्रीमान जिला कलेक्टर महो. के समक्ष पेश किया जिसे यह कहकर खारिज किया गया खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। जिसकी अपील श्रीमान राजस्व अपील

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर करेड़ा

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

पृ० वृ० 5/7/2018 आदेश

[illegible]

आवेदिका के समक्ष पेश की गई जिसको यह तय किया गया कि स्वातंत्री आदेश प्राप्त होने के पश्चात आवरन निस्तारित का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है इस कारण वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पुनः वाद पेश किया जिस कारण वादी के पूर्वजों के समय से ही वादी काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं प्रतिवादी आवंटन से पूर्व वादी को आवंटन इसके नाम पर नहीं भूमि को हुई थी इस कारण वादी का वाद स्वीकार किया जावे एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने इसके बाद कथन किया कि प्रतिवादी सम्पत एवं शान्ति देवी को आवंटन हुई थी, वादी ने 14(4) की अर्जी की गई जिसके सिर्फ सम्पत को ही पार्टी बनाया जो 14(4) खारिज होकर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय किया गया जिस पर अपील श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा के यहां अपील की गई जो भी खारिज होकर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय किया गया था एवं प्रतिवादी के आवंटन हुई जिस पर वादी का कोई हक नहीं है इस कारण वादी का वाद खारिज किया जावे, उभयपक्ष की बहस पर गौर किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रकरण के (पत्रावली) पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — प्र०क० 57/18 [illegible] बनाम [illegible] सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	वादी का काबीज होकर उपयोग उपभोग किया जाना साबित होता है एवं वादी के पिता को सेटलमेन्ट से पूर्व ही आवंटन होकर राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज रिकॉर्ड हो जाना साबित होता है वक्त सेटलमेन्ट बिलानाम होकर जाहिर होकर वादी के नाम इन्द्राज रिकॉर्ड भूमि प्रतिवादी सम्पत एवं शान्ती देवी के नाम आवंटन होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है डिक्री निर्णय प्रपत्र से लिखाया जावे शा० का० किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	